पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 102/2017

1. जगदीशचन्द्र पुत्र फुलाराम जाति ब्राहम्ण निवासी जोगीवाला त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व त0 भादरा।
2. नन्नी पुत्री फुलाराम पत्नी श्यामलाल जाति ब्राहम्ण हाल निवासी खावड़ा तहसील भट्टू जिला फतेहबाद। :— प्रतिवादीगण

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रोहताश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोगीवाला के खाता स0 62/63 के मु0 न0 46 के किला न0 6, 15 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0न0 44 के किला न0 9 ता 12 प्रत्येक किला की 0.253 कुल 1.518है0 बारानी खातेदारी वादी के पिता फुलाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में फुलारामका नाम कलमजन किया जाकर वादी जगदीशचन्द्र को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूकिं प्रतिवादीया स0 02 नन्ही ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 9.3.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 102/2017

1. जगदीशचन्द्र पुत्र फुलाराम जाति ब्राहम्ण निवासी जोगीवाला त0 भादरा।

:- **वादी**

ब ना म

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व त0 भादरा।
2. नन्नी पुत्री फुलाराम पत्नी श्यामलाल जाति ब्राहम्ण हाल निवासी खावड़ा तहसील भट्टू जिला फतेहबाद। :- **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग **: वादीगण**
वकील श्री रोहीताश शर्मा **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 9.3.2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जोगीवाला के खाता स0 62/63 के मु0 न0 46 के किला न0 6, 15 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0न0 44 के किला न0 9 ता 12 प्रत्येक किला की 0.253 कुल 1.518है0 बारानी खातेदारी वादी के पिता फुलाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा लक्ष्मीनारायण की खातेदारी हुआ करती थी। लक्ष्मीनारायण के देहान्त के बाद उक्त भूमि को वादी के पिता फुलाराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी के पिता फुलाराम का देहान्त दिंनाक 02.12.1986 को हो चुका है व वादी की माता का देहान्त भी बहुत पहले हो चुका है। चूकिं वादी की माता का देहान्त वादी के पिता फुलाराम से पहले हो चुका था इस प्रकार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी व प्रतिवादी सं 02 फुलाराम के प्रथम श्रेणी वारिस है इस प्रकार उक्त वाद भूमि के खातेदार वादी व वादी की बहिन प्रतिवादी सं 2 है लेकिन राजस्व रिकार्ड में आज भी वाद भूमि का अंकन फुलाराम के नाम है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन [illegible] प्रतिवादी सं 2 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को [illegible] हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया [illegible] से जवाब पेश किया गया। प्रतिवादीगण [illegible] राजीनामा पेश [illegible] की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 जगदीश पुत्र फुलाराम जाति ब्राहम्ण के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही जोगीवाला के खाता सं0 62/53 प्रदर्श 1 वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत जोगीवाला प्रदर्श 2 मृत्यु प्रमाण पत्र फुलाराम प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। साक्ष्य वादी पीडब्ल्यु 2 में फुलाराम पुत्र श्री गुगनराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक ... (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

जाति ब्राहम्ण तथा पीडब्ल्यु 3 में मदन पुत्र दुदाराम जाति ब्राहम्ण निवासी जोगीवाला द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि वादी के पिता फुलाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही जोगीवाला के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमावंदी रोही जोगीवाला के खाता सं0 62/53 प्रदर्श 1 वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत जोगीवाला प्रदर्श 2 मृत्यु प्रमाण पत्र फुलाराम प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें जमावंदी प्रदर्श 1 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 2 में वारिस प्रमाण के अनुसार फुलाराम के एक पुत्र जगदीश व एक पुत्री नन्ही तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। तथा प्रदर्श 3 से साबित है कि वादी के पिता फुलाराम का देहान्त दिनांक 02.12.1986 को हो चुका है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी के पिता फुलाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। चुकिं प्रतिवादीयां स0 2 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोगीवाला के खाता स0 62/63 के मु0 न0 46 के किला न0 6, 15 प्रत्येक किला की 0.253है0 मु0न0 44 के किला न0 9 ता 12 प्रत्येक किला की 0.253 कुल 1.518है0 बारानी खातेदारी वादी के पिता फुलाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में फुलारामका नाम कलमजन किया जाकर वादी जगदीशचन्द्र को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूकिं प्रतिवादीया स0 02 नन्ही ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:22:21 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner